न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 197 / 2017 (उदयपुर डिक्री)

खेमा पिता गोविन्दा जी डांगी, निवासी खेड़ी (वली), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कसना पिता डूंगा जी डांगी, निवासी खेड़ी (वली), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. भेरा पिता डूंगा जी डांगी, निवासी खेड़ी (वली), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. पेमा पिता डूंगा जी डांगी, निवासी खेड़ी (वली), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. खेमा पिता वगता जी डांगी, निवासी खेड़ी (वली), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. रूपा पिता वगता जी डांगी, निवासी खेड़ी (वली), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. पेमा पिता वगता जी डांगी, निवासी खेड़ी (वली), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती गौरी पत्नी वगता जी डांगी, निवासी खेड़ी (वली), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 15.06.2017 प्र.सं. 13 / 16

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक रे.सं. 2 से 6

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 13–01–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खेड़ी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात कुल किता 73 रकबा 5.9800 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित होकर पक्षकारान अपनी सुविधानुसार काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं होने से बैंक ऋण आदि में कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारों के मध्य उपरोक्तनुसार का विभाजनक कराया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व न्यायालय में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 13–06–2016 से वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया तत्पश्चात प्राप्त फर्द बंटवारे के आधार पर प्रकरण में दिनांक 15–06–2017 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 15–06–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04–12–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 की ओर से वकील श्री लोकेश गहलोत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 23–11–2017 से पूर्व नहीं थी, क्योंकि प्रकरण कैम्प में रखे जाने की उसे कोई सूचना नहीं दी गयी। जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 602 व आर.बी.जे. 2015 पेज 482 प्रस्तुत की।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया। अपील प्रस्तुत करने में करीब साढे तीन माह का विलम्ब हुआ है, जो प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी में उदार दृष्टिकोण रखते हुए मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौरान बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व कैम्प में रखे जाने की कोई सूचना नहीं दी गयी तथा उसे बिना सुने फररिस्त दस्तावेज तैयार कर उसके आधार पर डिक्री जारी कर दी गयी जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। फर्द बंटवाड़ा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा मौके पर अच्छी से अच्छी एवं खराब से खराब जमीन का बंटवाड़ा नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. 2018 पेज 676, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689, आर.आर.टी. 2011–12 (Supp.) पेज 698, आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 258, आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 864 एवं आर.आर.टी. 2016–17 (Supp.) पेज 566 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि डिक्री आपसी सहमति से जारी हुई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 03–07–2017 की पेशी नियत थी, किन्तु इसके स्थान पर इससे पूर्व ही प्रकरण दिनांक 15–06–2017 को राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक

न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। इसके अलावा हमने यह भी पाया कि प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो फर्द बंटवाड़ा तैयार किया गया है वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बंटवारा कमिश्नर तहसीलदार को नियुक्त किया गया था एवं नवीनतम न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689 अनुसार तहसीलदार स्वयं द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाना चाहिए। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–06–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रारम्भिक डिक्री की पालना में स्वयं तहसीलदार गिर्वा मौके पर जाकर पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें एवं अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त फर्द बंटवाड़े पर यह यदि पक्षकारान की किसी प्रकार की आपत्तियां हैं तो उन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम डिक्री जारी करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–03–2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 13–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.17 13:27:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: